



# राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)

कार्यालय : 82, पटेल कॉलोनी, गवर्नमेन्ट प्रेस के पास, सरदार पटेल मार्ग, जयपुर-302001  
संरक्षक : सर्वश्री नानक कुन्दनानी, संतोष चन्द्र सुराणा, चौथमल सनाढ्य, राजनारायण शर्मा, रामावतार शर्मा  
(Regd. & Recognised by Govt. & Affiliated to ABRSM, AIPTF, AISTF, E.I. & RRKM)

सम्पत सिंह अध्यक्ष मो. 94133-44625	नटवर लाल पांचाल सभाध्यक्ष मो. 94143-52597	प्रहलाद शर्मा संगठन मंत्री मो. 94140-56109	अरविन्द व्यास महामंत्री मो. 94143-96596
--	---	--	---

## प्रेस विज्ञप्ति

### कंपोजिट स्कूल ग्रांट की राशि में हो बढ़ोत्तरी

नामांकन के आधार पर कंपोजिट ग्रांट देना न्याय के प्राकृत सिद्धान्त के विपरीत

जयपुर। 20 जुलाई 2021। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के आदेश के अनुसार राज्य के विद्यालयों के संचालन हेतु भिन्न प्रकार खर्चों के लिए नामांकन के आधार पर कंपोजिट स्कूल ग्रांट की स्वीकृति जारी की है। उक्त प्राप्त ग्रांट राशि में से व्यय करने की मद व व्यय बजट भी पूर्व निर्धारित किया गया है।

राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) के प्रदेश महामंत्री श्री अरविंद व्यास ने बताया कि नामांकन के आधार पर स्वीकृत कंपोजिट स्कूल ग्रांट राशि में बढ़ोत्तरी की मांग को लेकर संगठन ने शिक्षामंत्री राजस्थान सरकार को ज्ञापन भेजकर अवगत करवाया कि कोई भी विद्यालय नामांकन की दृष्टिकोण से बड़ा हो अथवा छोटा किन्तु उन सभी में संस्था संचालन से संबंधित समस्त व्यय एक समान ही होता है। किंतु राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा नामांकन की स्लैब के आधार पर पृथक-पृथक राशि को स्वीकृत किया गया है। 1 से 30 तक नामांकन पर 10 हजार, 31 से 100 तक नामांकन पर 25 हजार, 101 से 250 पर 50 हजार तथा 251 से 1000 पर 75 हजार 1000 से ऊपर के नामांकन पर 1 लाख कंपोजिट स्कूल ग्रांट स्वीकृत की गई है जबकि यह विगत वर्ष में 1 से 15 तक के नामांकन वाले विद्यालयों के लिए 12500 रुपये की कंपोजिट स्कूल ग्रांट स्वीकृत है। वहीं 16 से 100 तक के नामांकन के लिए 25 हजार तथा 101 से 250 तक के नामांकन के लिए 50 हजार राशि स्वीकृत की गई थी। इस प्रकार नामांकन के आधार पर राशि स्वीकृत करने में कम नामांकन वाले विद्यालयों की प्रबंध व संचालन व्यवस्थाएं प्रभावित होती है।

संगठन के प्रदेशाध्यक्ष सम्पतसिंह ने बताया कि सभी संस्थाओं के संचालन, रंग-रोगन, उपकरण, मरम्मत, दरी-पट्टी, परीक्षा सामग्री, दैनिक समाचार पत्र, खेल, अधिगम सामग्री, खेल सामग्री, इंटरनेट पैक भरवाने, अग्निशमन यंत्र में गैस भरवाने तथा अन्य शौचालय व मूत्रालय की साफ सफाई, आसपास स्वच्छता, रोकड़ बही व अन्य आवश्यक रजिस्टर, फोटो कॉपी व्यय आदि समस्त व्यय एक समान होते हैं। ऐसे में नामांकन के हिसाब से उक्त कंपोजिट स्कूल ग्रांट की राशि स्वीकृत करना अन्यायपूर्ण है।

श्री सम्पतसिंह कहा ने कि संगठन ने राजस्थान सरकार के शिक्षामंत्री को पत्र भेजकर उक्त कंपोजिट स्कूल ग्रांट की राशि में बढ़ोत्तरी की मांग करते हुए 1 से 100 तक के नामांकन वाले विद्यालयों के लिए न्यूनतम 50 हजार रुपये कंपोजिट स्कूल ग्रांट स्वीकृत किया जाना न्याय के प्राकृत सिद्धान्त के अनुरूप होगा। तथा 101 से 500 तक के नामांकन के लिए 75 हजार तथा 500 से 1000 तक के लिए 1 लाख एवं 1000 से ऊपर के नामांकन वाले विद्यालयों के लिये 1 लाख 50 हजार की राशि स्वीकृत किये जाने की मांग की है। ताकि समस्त विद्यालयों का समान रूप से विकास व व्यवस्थित संचालन हो सके तथा व्यवस्थाएं व सुविधाएं बढ़ने से विद्यालयों में नामांकन में बढ़ोत्तरी भी हो सकेगी।

(आशीष त्रिवेदी)

संयोजक – मीडिया प्रकोष्ठ  
राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)